

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(वेधे अशिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 77 / 2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
17.7.19	आवेदक/आवेदिका प्रेमलाल महतो, पिता- सुशिल महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- बोड़दा, पो०-चैनपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-16, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 122, प्लॉट नं०- 212, रकवा-0.05 ए०, क्रेता संजय कुमार महतो, पिता- सोनाराम महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- बोड़दा, पो०-चैनपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-16</td><td>-</td><td>चक्रधरपुर</td><td>122</td><td>212</td><td>0.05 ए०</td></tr> </tbody> </table> आवेदक को 50,000/- (पचास हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.05 ए० को कुल कीमत 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 2.8.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 3.8.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-16	-	चक्रधरपुर	122	212	0.05 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-16	-	चक्रधरपुर	122	212	0.05 ए०									

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।